200 — ह
30/6/15

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 1, शुक्रवार, शाके 1937–मई 22, 2015
Jyaistha 1, Friday, Saka 1937– May 22, 2015

भाग 6 (ख)
जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर नगर निगम

जोधपुर नगर निगम (डेयरी, पशुघर एवं अस्तबल आदि के नियंत्रण व नियमन एवं आवारा पशु नियंत्रण) उपविधियाँ 2015

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (राजस्थान अधिनियम 18 सन् 2009) की धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड आई (IV) एल (I) सहपठित धारा 251 व 269 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर नगर निगम द्वारा निम्नलिखित उपविधियाँ बनाई जाती है :–

1. संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रभाव :–

I. ये उपविधियां जोधपुर नगर निगम (डेयरी, पशुघर एवं अस्तबल आदि के नियंत्रण व नियमन एवं आवारा पशु नियंत्रण) उपविधियाँ 2015 कहलायेगी।

II. ये उपविधियां जोधपुर नगर निगम सीमा मे प्रभावशील होगी।

III. ये उपविधियां राज्य सरकार राजपत्र मे प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

2. परिभाषाएं :

इस उपनियम में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नही–

I. अधिनियम" से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम–2009 (अधिनियम 18 सन् 2009) से है।

II. "अध्यक्ष" से अभिप्रेत महापौर है।

III. मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्रेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त से है।

IV. निगम से तात्पर्य "आयुक्त जोधपुर नगर निगम" से है।

V. अनुज्ञाधारी" से तात्पर्य लाईसेंस धारक से है।

VI. लाईसेंस से तात्पर्य इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये या किये जाने वाले लाईसेंस से है।

VII. अनुज्ञाप्राधिकारी से तात्पर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन आयुक्त, एवं आयुक्त से है।

VIII. स्वामी से अभिकर्त्ता, सेवक, प्रबन्धक एवं अधिवासी सम्मिलित है।

IX. पशु से तात्पर्य सीगों वाले पशुओं तथा घोड़े, घोड़ी, खच्चर, गधे आदि सभी पालतु पशु सम्मिलित है।

X. पशुघर से तात्पर्य उस स्थान से है जिसमें किसी भी प्रकार के सीगों वाले पशुओं जैसे गाय, भैसें आदि अन्य पशु रखे जाते हों।

XI. डॉग हाऊस से तात्पर्य उस स्थान से है, जिसमे भाहर मे अवारा घुमने वाले कुत्तो को पकड कर रखा जाता हैं।

XII. अस्तबल से तात्पर्य उस आवासीय स्थान से है जिसमें घोड़े, घोड़ी, खच्चर गधें रखे जाते है।

XIII. डेयरी से नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2 (गअपपप) में परिभाषित डेयरी अभिप्रेत हैं।

3. बिना लाइसेंस के डेयरी,पशुघर एवं अस्तबल आदि रखते व चलाये जाने का प्रतिबन्धः–

कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा में लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान को डेयरी, पशुघर अथवा अस्तबल आदि के लिये उपयोग नही करेगा और न करने देगा । लेकिन इन उपविधियो के लागू होने की तिथि को जो डेयरी, पशुघर अथवा अस्तबल अस्तित्व में होगे उनका लाइसेंस इन उपविधियों के लागु होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

1) **लाइसेंस के लिये प्रार्थना–पत्रः–**

I. कोई भी व्यक्ति जो नगर निगम सीमा में डेयरी, पशुघर अथवा अस्तबल के रूप में किसी भी स्थान को प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है, वह प्रपत्र–अ मे प्रार्थना पत्र अनुज्ञाप्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान के दो प्रतियों में मानचित्र प्रस्तुत करेगा।

II. प्रपत्र–अ :– में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञाप्राधिकारी स्थान का निरीक्षण करेगा तथा अपने आपको इस बात के लिये आश्वस्त करेगा कि प्रस्तावित स्थान अपेक्षित कार्य या डेयरी व्यवसाय के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रकार से उपर्युक्त है तथा उससे किसी प्रकार की जन असुविधा अथवा अनुत्रास नहीं होगा तथा पड़ौसी और मौहल्ले के

निवासियों के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण को कोई खतरा नहीं होगा।

III. अनुज्ञाप्राधिकारी के आश्वस्त हो जाने पर वह अनुज्ञार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने का आदेश देगा तथा अनुज्ञार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने पर ही लाईसेंस जारी किया जायेगा।

IV. अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा स्थान के निरीक्षण पश्चात् लाइसेंस जारी किये जाने के लिए यदि आश्वस्त नहीं हो, तो वह कारण अभिलेखित करते हुए प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करेगा अथवा जो दोष हो उन्हे ऐसी यथोचित अवधि में दूर किये जाने के लिए अनुज्ञार्थी को सूचित करेगा। यदि निर्दिष्ट अवधि में अनुज्ञार्थी द्वारा दोष दूर नही किये जावे तो प्रार्थना पत्र स्वतः अस्वीकृत समझा जावेगा।

2) प्रत्येक डेयरी, पशुधर अथवा अस्तबल के लिये पृथक–पृथक लाईसेंस लिया जाना आवश्यक होगा। एक डेयरी पशुधर अथवा अस्तबल में उतने की पशु रखे जावेगें जितने के लिये लाईसेंस जारी किया गया है। उससे अधिक होने पर अथवा शर्तो के उल्लंघन पर लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा एवम् प्रत्येक अपंजीकृत पशु के 1000/– रुपये शास्ति आरोपित कर सकेगा।

3) प्रत्येक पशु की टेगिंग की जावेगी अथवा प्रत्येक पशु के गले में टोकन लगाया जावेगा जिस पर मालिक का नाम, पता व फोन संख्या अंकित होगी। जिन पशुओ के गले में टोकन नही होगें उन्हे आवारा पशु मानते हुऐ, पकडकर नान्दडी स्थित नगर निगम जोधपुर पशुगृह में भेजा जा सकेगा।

4) कोई भी व्यक्ति पशुगृह के बाहर, सडक पर, सार्वजनिक स्थान पर, नगर निगम की जमीन पर पशु नही रखेगा। यह पूर्णतः निशेध होगा तथा उल्लघंन पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा पशुओ को पकडकर नगर निगम पशुगृह भेजा जा सकेगा। पशुओ का शहर सीमा (सडक, मुख्य मार्ग एवम् सार्वजनिक स्थान) में आवारा विचरण निषेध होगा। पशुगृह में शहर में विचरण करते हुए पशुओ को पकडकर रखा जायेंगा। नगर निगम जोधपुर द्वारा पकडे गये पशुओ को निम्न प्रकार से शास्ति आरोपित कर छोडा जा सकेगा।

गाय, भैंस, घोडा, गधे इत्यादि	7 दिवस तक	8–15 दिवस तक	16–30 दिवस तक
शास्ति राशि	2,500/– रुपये	4,000/– रुपये	7,000/– रुपये

- एक माह की अवधि पश्चात् पकडे गये पशु नही छोडे जायेंगे तथा उन्हे नियमानुसार निलाम करने अथवा अन्यत्र स्थान भेजने की कार्यवाही अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।
- शहर में सार्वजनिक स्थानो पर रिजका/हरा एवम् सुखा चारे की बिक्री बिना नगर निगम अनुज्ञप्ति के निषेध होगी। बिना अनुज्ञप्ति बेचान पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा 1000/– रुपये तक शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

5) **लाईसेंस की अवधि** :– इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किये गये प्रत्येक लाईसेंस की अवधि उसके जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक होगी।

6) **लाईसेंस फीस** :–

1.	स्वयं के लिये घर के उपयोग के लिये : • गाय, बैल, भैंस, घोडा व कुत्ता। • बकरी व भेड़।	200 रू. प्रति वर्ष प्रति पशु 100 रु प्रति वर्श प्रति पशु
2.	वाणिज्यिक उपयोग (दूध विक्रय व अन्य) : गाय, भैंस, घोडा, गधा, कुत्ता व अन्य।	500 रू. प्रतिवर्ष प्रति पशु
3.	दूध के भंडारण या विक्रय के लिए या मक्खन बनाने या विक्रय के लिए उपयोग हेतु स्थल के लिए	1000 रू. प्रतिवर्ष

I. निगम द्वारा संचालित पशुगृह, अस्तबल, डॉग हाउस इत्यादि इन उपविधियो से मुक्त रहेंगें।

II. किसी भी शिक्षण संस्था या धार्मिक संस्था या जनहित में स्थापित अन्य संस्था द्वारा संचालित पशुगृह, अस्तबल, डॉग हाउस, इत्यादि को उक्त लाईसेन्स आधी दरो पर जारी किया जावेगा।

7) **लाईसेंस का नवीनीकरण** :–

I. प्रत्येक वर्ष लाईसेंस का निर्दिष्ट शुल्क जमा कराये जाने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा वर्शो की लाईसेंस के नवीनीकरण किए जाने में अनुज्ञाप्राधिकारी को किसी प्रकार की आपत्ति न हो। ऐसी किसी भी आपत्ति की सूचना अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा लिखित में अनुज्ञाधारी को दी जावेगी।

II. प्रत्येक अनुज्ञाधारी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर 30 अप्रैल तक नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात् 50/– रूपये प्रतिदिन प्रति लाईसेंस अतिरिक्त शुल्क देय होगा। जो किसी भी स्थिति में मूल लाइसेंस फीस से अधिक नहीं होगा।

8) **लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा** :– इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी लाइसेंस जिस स्थान व जिस व्यक्ति के लिये अथवा जिस कार्य के लिये दिया जावेगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा तथा लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा। परन्तु व्यक्तिगत उपयोग के लिये रखे

गये पशुओं के लाईसेन्स को उतराधिकार के अनुसार जारी किया जा सकेगा।

9) **लाइसेंस का निलम्बन या निरस्तीकरण :–**

I. कोई भी लाइसेंस जनसुरक्षा अथवा जनस्वास्थ्य के आधार पर अथवा अनुज्ञाधारी द्वारा इन उपविधियों अथवा लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा अधिकारी द्वारा इन उपविधियो अथवा लाइसेंस कीशर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा अधिकारी द्वारा निलम्बन या निरस्त किया जा सकेगा।

II. खण्ड (1) में लाइसेंस के निरस्तीकरण से पूर्व अनुज्ञाधारी को कारण बताने का यथोचित अवसर प्रदान किया जावेगा।

10) **लाइसेंस की शर्तें :–**

i. जिस स्थान के लिए लाइसेंस दिया जाना प्रस्तावित हो वह पशुओं की संख्या को देखते हुए उपयुक्त तथा पर्याप्त रूप से विस्तीर्ण होगा। प्रत्येक पशु के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल इस प्रकार होगा :–

- गाय, भैंस, बैल, सांड 9 फुट X 9 फुट
- घोड़ा, घोड़ी 12 फुट X 8 फुट
- बकरा, बकरी एवं भेड 5 फुट X 4 फुट

ii. लाइसेंस शुदा स्थान पर्याप्त हवादार और प्रकाश युक्त होगा।

iii. डेयरी, पशुघरों अथवा अस्तबलों के अन्दर या उनकी छत पर किसी प्रकार का कोई आवासीय निर्माण नहीं किया जावेगा।

iv. पशुघरों अथवा अस्तबलों की दीवारों की ऊँचाई धरातल से कम से कम 5 फुट तक होगी।

v. किसी भी पशुघर में कोई भी स्थान ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिसमें विक्रय के लिए दूध रखा जा सके या दूध भण्डारण किया जा सकें। दूध के भण्डारण के लिए पशुघर मे अलग कमरा बनाया जावेगा जो किसी भी तरह से कम से कम 10 फुट दूर होगा।

vi. कोई भी पशुघर अथवा अस्तबल ऐसे स्थान पर नहीं बनाया जावेगा जिससे 50 फुट की दूरी के अन्दर कोई खाद्य या पेय पदार्थ विक्रय किये जाने के लिए रखे जाते हो।

vii. लाइसेंस इस शर्त पर दिया जावेगा कि जब भी अनुज्ञाप्राधिकारी आदेश दे उसके तीन माह के अन्दर ऐसे पशुघर अथवा अस्तबल हटा दिया जायेगा।

viii. जब कभी भी निगम द्वारा जनहित मे यह निर्णय लिया जावे कि पशुघरों अथवा अस्तबल को आवासीय बस्तियों से हटाकर किसी निर्धारित स्थान पर ले जाया जावें, तब ऐसा आदेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर पशुघर, अस्तबल अथवा डेयरी का स्वामी अपने पशुओं को वहां से हटाकर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थानान्तरित कर देगा और इस नये स्थान पर ही अपना व्यवसाय करेगा। इस के लिये कोई क्षतिपूर्ती राशी देय नही होगी।

ix. प्रत्येक लाइसेंस धारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह गोबर, कुड़ा करकट आदि के निष्पादन की नगरीय ठोस कचरा (प्रबन्धन व हथालन) नियम 2000 के अनुसार व्यवस्था करे, गोबर, लीद, कुड़ा करकट आदि के लिए कुड़ादान रखे जिसमें से कूड़ा नगर निगम के सफाई कर्मचारी उठाकर ले जा सकेंगें। आवासीय बस्तियों में स्थित किसी भाग या खुली जगह में अथवा गड्ढा खोदकर गोबर, लीद आदि को इकठ्ठा
नहीं करेगा और न ही सड़क पर या घर के बाहर डालेगा। सार्वजनिक मार्ग के किनारे किसी दीवार पर कडे या छाने सूखाने के लिए नहीं डालेगा।

x. पशुघर, अस्तबल तथा पशुओं की पूरी सफाई रखेगा और प्रतिदिन कीटनाशक दवाईयां का छिड़काव करेगा जिससे आसपास रहने वालों को कोई अनुत्रास न हो। सफाई की व्यवस्था अनुज्ञाप्राधिकारी के निर्देशानुसार की जावेगी। आवासीय बस्तियों में व्यवसाय के रूप में अथवा शुल्क लेकर गर्भाधान

xi. जहां अनुज्ञाधारी ने लाइसेंस की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लघंन करने पर एक माह का नोटिस, देकर लाइसेंस प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।

11) **.निरीक्षणः–** मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक अथवा निगम के द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी लाइसेंस शुदा स्थान में प्रवेश कर सकेंगे तथा सफाई एवं लाइसेंस की अन्य शर्तों की पालना का निरीक्षण कर सकेंगे। वे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट अनुज्ञा प्राधिकारी को देंगे जो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

12) **अपीलः–** इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश या निर्देश से व्यथित होने पर ऐसे आदेश या निर्देश के विरूद्ध उसकी प्राप्ति से 30 दिन में महापौर जोधपुर के समक्ष निगम में अपील की जा सकेगी।

13) **शास्तियांः–**

I. कोई व्यक्ति बिना लाईसेंस या लाईसेंस शर्तों में से किसी शर्त के उल्लघंन या इसके प्रत्याहरण के पश्चात् या इसके निलंबन के दौरान, किसी स्थान को उपयोग करता है या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात करता है तो दस हजार रू. तक का हो सकेगा और निरन्तर अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो ऐसे प्रथम अपराध के लिए दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसमें ऐसा अपराध निरन्तर रहता है तो 100. 00 रू. तक हो सकेगा, दण्डित किया जावेगा।

II. खण्ड (1) के अधीन किसी स्थान के सम्बन्ध में दोष सिद्धि प्राप्त होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश देगा, और ऐसे स्थान को इस प्रकार प्रयोग में लाने से रोकने के लिए उस पर व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य कदम उठायेगा।

14) **समझौता:**– इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत गठित समझौता समिति द्वारा अपराध का शमन अथवा समझौता किया जा सकेगा।

15) **निरस्त:**– इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व उपविधियों से सम्बन्धित मामलों के लिए प्रचलित समस्त उपनियम, आदेश इन उपविधियों के प्रभावशील होने पर निरस्त हो जावेगी।

घनश्याम औझा
महापौर
नगर निगम जोधपुर।

हरिसिंह राठौड़ (RAS)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।